दी प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं दी राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम 2006 के अन्तर्गत सिक्युरिटी लाईसेंस हेतु आवेदन प्रक्रिया –

आवेदन फार्म विभागीय बेवसाईट **http://home.rajasthan.gov.in/homeguard** से प्राप्त किये जा सकते है।

क्र. सं.		विषय विवरण
1.		लाईसेन्स फीस का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक नियंत्रण प्राधिकारी **महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (Director General, Home Guard, Rajasthan, Jaipur)** के नाम से निम्न राशि का देवे :– (i) एक जिले हेत 5,000/– (ii) पांच जिलों हेत 10,000/– (iii) सम्पूर्ण राज्य हेत 25,000/–
2.		पूर्व में जारी लाइसेन्स का पूर्व विवरण आवेदन पत्र में कॉलम संख्या 14 में अंकित जावे।
3.		प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र 3 प्रतियों में एवं उपयुक्त स्थानों पर **हस्ताक्षरित** व **सत्यापित** प्रस्तुत किये जायेंगें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आवेदक का अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों से सम्बन्ध होने पर प्रत्येक जिले एवं राज्य के हिसाब से दो अतिरिक्त सैट पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
4.		फार्म–II पर आवेदकों की **फोटो प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा सत्यापित** होगी। फोटो नवीनतम लगाई जावें ।
5.		प्रत्येक आवेदन प्रपत्र के साथ फार्म–I के अनुसार निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायेंगे–
	अ	पहचान पत्रों की ***सत्यापित*** फोटोप्रति (ड्राईविंग लाईसेन्स/पेन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/पासपोर्ट जिसमें फोटो एवं पता प्रमाणित हों। (आर्मी अथवा पुलिस सेवा से सम्बद्धित आवेदक को उनके डिस चार्ज सम्बन्धीत दस्तावेज देना अनिवार्य होगा।)
	ब	आवेदक के शिक्षा सम्बन्धित दस्तावेजो की ***सत्यापित*** प्रतियां एवं आयु संबंधी दस्तावेज।
	स	अधिनियम 2005 के नियम 7(2) में निर्धारित शपथ पत्र एव अण्डरटेकिंग रूपये 50–50 के स्टाम्प पेपर पर नौटेरी से सत्यापित।
	द	सिक्यूरिटी कार्यो हेतु व्यवसायिक क्षेत्र में खोले गये कार्यालय का **सभी आवेदको के नाम से जारी** राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र पांच वर्ष के लिए जारी किया गया है कि ***सत्यापित*** छाया प्रति ।
	य.	राजस्थान में सुरक्षा एजेन्सी का प्रस्तावित कार्यालय हेतु उक्त पंजियन प्रमाण पत्र में दर्शाये गये पते से सम्बन्धित भवन (एन.ओ.सी. राशि रूपये 50/– के स्टाम पर अन्य सम्बन्धी के नाम होने पर)/भूमी लीज डीड/(किरायानामा) के प्रपत्र/दस्तावेजों की अवधि पांच वर्ष हो कि ***सत्यापित*** छाया प्रति है।
	र	आवेदक को नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी सुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र। एक से अधिक आवेदक होने की दशा में प्रत्येक आवेदक का नियम 6 (1) के तहत जारी सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (भूतपूर्व सैनिक एवं पुलिसकर्मियों हेतु 7 दिवस का एवं अन्य को 21 दिवस का)
	ल	गार्डस के प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण संस्थान का प्रशिक्षण अनुबन्ध पत्र अति आवश्यक है।
	व	पसारा एक्ट नियम 10 (3) के तहत सेना,नौसेना,वायु सेना, संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल, पुलिस, राज्यों की सशस्त्र पुलिस एवं होमगार्ड को नियोजन में प्राथमिकता प्रदान करने का शपथ पत्र रूपये 50 के स्टाम्प पेपर पर नौटेरी से सत्यापित।
	स	ई–मेल आई.डी. एवं दूरभाष।
6.		फर्म/कम्पनी/सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है।
7.		फर्म पार्टनरशिप डीड/कम्पनी मेमोरेण्डम/सोसायटी बायलोज की फोटोप्रति आवेदक द्वारा हस्ताक्षर युक्त होगी ।
8.		साझेदारों/कम्पनी/सोसायटी द्वारा लाईसेन्स हेतु मुख्य आवेदक को प्राधिकृत करने का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन.ओ.सी)।
9.		कम्पनी/साझेदारों को हटाये और जोड़े गये सदस्यों का फार्म–12 एवं तारीखवार संक्षिप्त विवरण।
10		अधिनियम 2005 में बताये अनुरूप एजेन्सी द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण/एजेन्सी प्रोफाईल।
11.		दी राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 की धारा 21 के तहत वर्दी का विस्तृत विवरण (वर्दी का लोगो, वर्दी मे गार्डस् के फोटोग्राफस् (4) दिया जाना आवश्यक होगा।

12.	**लाईसेन्स धारी संस्था द्वारा नवीनीकरण** हेतु आवेदन किये जाने **की निर्धारित अवधी लाईसेन्स समाप्ति से 45 दिवस पूर्व करना अनिवार्य है।** लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज उपरोक्त के अतिरिक्त फार्म 8 नियम 12(1)में प्रस्तुत किये जायेंग **(45 दिवस पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत नही करने पर आवेदन स्वीकर नही किया जायेगा)**	
	अ.	पूर्व में आवंटित लाईसेन्स अवधि मे नियोजित किये गये सुरक्षा गार्डो एवं पर्यवेक्षकों की सूचि एवं एजेन्सी द्वारा प्रारूप–10 में संधारित रजिस्टर की ***सत्यापित*** छाया प्रति प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी।
	ब.	पूर्व में आवंटित लाईसेन्स अवधि मे नियोजित किये गये पर्यवेक्षकों एवं सुरक्षा गार्डो के नियम 2006 की धारा 8(1) के तहत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र **(भूतपूर्व सैनिक एवं पुलिसकर्मियों हेतु 7 दिवस का एवं अन्य को 21 दिवस का)**। प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लाईसेंस अवधि में **सभी वर्षो** के होने चाहियें।
	स.	दी राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 की धारा 7 के तहत सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षकों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी दस्तावेज। चरित्र सत्यापन लाईसेंस अवधि में सभी वर्षो के होने चाहियें।
	द.	दी राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 की धारा 9 के तहत सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण–पत्र लाईसेंस अवधि में **सभी वर्षो** के होने चाहियें।
	य.	दी राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 की धारा 13(जे) के तहत E.S.I., E.P.F. & G.S.T. के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति।
13.	रूपये 50 के स्टाम्प पर निम्न शपथ पत्र दिया जावेंगा –	
	अ.	सत्यापित गत पांच वर्षो में आवेदकों/गार्डो/पर्यवक्षकों के खिलाफ कोई अभियोग दर्ज नही है एवं नियम 7 के तहत संस्थान में किसी भी परिवर्तन/कानूनी वाद की सूचना कार्यालय को दी जावेंगी।
	ब.	सुरक्षा गार्डो एवं पर्यवेक्षकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निति अनुसार पारिश्रमिक भत्ता दिये जाने एवं E.S.I., E.P.F की कटौती सम्बन्धी शपथ पत्र दिया जायेगा (रूपये 50 के स्टाम्प पर सत्यापित)।
	स.	अधिनियम 2005 की धारा 11 एवं नियम 2006 के नियम 15 के प्रावधानों के अनुरूप रजिस्टरस् एवं दस्तावेजों का संधारित किये जा रहे है।
	द.	अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई अनुज्ञप्ति पूर्व में प्राप्त नहीं होने तथा बिना लाईसेंस वर्तमान में राजस्थान में व्यवसाय नहीं किया गया है।
14.	पसारा एक्ट नियम 15 (1) के तहत सुपरवाईजर, गार्डस आदि के रिकार्ड हेतु संधारित रजिस्टर (नोमिनल रोल) की छाया प्रति	
15.	**मांगकर्ता एजेन्सीयों की सूची, नियोजन में भूतपूर्व सैनिको एवं अन्य सैन्य सेवा से सम्बन्धित व्यक्तियों को प्राथमिकता, सुपरवाईजर एवं गार्डस नियोजन का अनुपात**	
16.		**सिक्यूरिटी प्रशिक्षण संस्थान लाईसेन्स हेतु आवेदन करने की दशा में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगेः–**

(1)	प्रशिक्षण संस्थान एरिया 2400 वर्ग गज कमरो को छोड़कर, क्लास रूम अलग होने पर एक किलोमीटर से अधिक की दूरी नही होनी चाहिए।	(6)	प्रशिक्षक की प्रोफाईल/सर्विस रेकार्ड
(2)	एरिया का नक्शा (Blue Print)	(7)	प्रशिक्षण सलेबस NSQF के NOS के अनुरूप
(3)	ड्रिल की व्यवस्था	(8)	प्रशिक्षण प्रोग्राम NSQF के NOS के अनुरूप
(4)	प्ले ग्राउण्ड	(9)	प्रशिक्षण हेतु उपकरण NSQF के NOS के अनुरूप होने आवश्यक है
(5)	पांच कमरे अटैच लेटबाथ (कमरे की साईज 60X40 फीट)	(10)	प्रशिक्षण एरिया+क्लास रूम की फोटो ग्राफ्स्

आज्ञा स
नियत्रक पाधिकारो,